P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला उद्यमी : एक अध्ययन (विशिष्ट गुण, समस्याएँ एवं समाधान)

रवि कुमार
शोध छात्र
वाणिज्य विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा (बिहार)

धर्मेन्द्र कुमार तिवारी
शोध निदेशक
पूर्व डीन व अध्यक्ष
वाणिज्य विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा (बिहार)

सारांश

भारत की उद्यमी महिलायें आजीवन अपने योगदान द्वारा आर्थिक सम्पन्नता, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण में सहयोगी रही हैं। जिससे उन्हें स्व–हित के साथ–साथ सामाजिक हित भी होता है। भारत में अभी भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की उद्यम क्षेत्र में उपस्थिति कम है। कारण कि पितृसत्तात्मक समाज, वित्त एवं विपणन की समस्याएँ, उत्पादन लागत उच्च होना, यात्राएँ, भेद–भाव आदि की समस्याओं से वे ग्रसित हैं। जिसका निराकरण परिवार, समाज एवं सरकार के संयोजित प्रयास से सम्भव है। महिलाओं को उद्योग लगाने में अधिक सफलता मिल सकती है लेकिन शर्त्त यह है कि पुरूषों के बराबर कार्य करने की स्वच्छंदता एवं वातावरण निर्मित किया जाय। आज की परिस्थिति में उद्योग–धंधों एवं व्यवसाय का कार्य महिलाएँ पुरूषों की तुलना में अधिक नियोजित तरीके से मितव्ययिता के साथ सम्पादित कर सकती हैं। जरूरत है उनके विभिन्न प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का समाधान किया जाय एवं उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाय। सरकार की विभिन्न योजनाओं PMRY, TRYSEM, DWCRA, IRDP, TREAD, SGSY, SIDBI आदि का लाभ उन्हें मिलें। पूरे देश में महिलाओं के लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो। तभी भारत में उद्यमिता के बढ़ते क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

मुख्य शब्द : महिला उद्यमी, आर्थिक सम्पन्नता, विशिष्ट गुण, समस्याएँ, समाधान।

प्रस्तावना

भारतीय वाङमय आर्षग्रंथों में अपने शक्तियों के कारण महिलायें देवी स्वरूप में सम्मानित हुई हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही महिलाओं का योगदान मानव पूँजी के निर्माण में हुआ है। परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया के साथ उसने उद्यम की स्थापना के कार्य में योगदान देना प्रारम्भ किया। प्राचीन काल में महिलाओं को आर्थिक जीवन में भाग लेने का जितना अवसर प्राप्त हुआ, वह मध्य युगीन भारत में निरंतर कम होता गया। पर्दा प्रथा के प्रचलन एवं महिलाओं के क्रियाकलाप के सम्बन्ध में विकसित नवीन मान्यताओं एवं निषेधों के कारण महिलाएँ इन कार्यो में अपेक्षाकृत कम भाग लेने लगीं। औद्योगिक क्षेत्र के वृद्धि के फलस्वरूप आधुनिक युग में खास करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का महत्त्वपूर्ण स्रोत माना गया। महिला उद्यमी अपने साथ–साथ अन्य लोगों के लिए नये उद्यमों का निर्माण करती हैं, जिसमें सामाजिक हित भी निहित है।

संत कबीर के शब्दों में– **"कहै कबीर कुछ उद्यम कीजै। आप खाय औरों को दीजै।।"**

महिला उद्यमी समाज को प्रबंध, संगठन एवं व्यावसायिक समस्याओं के भिन्न–भिन्न समाधान उपलब्ध कराती हैं। वास्तव में उद्यमिता ने महिलाओं के लिए पेशा के रूप में एक नया क्षेत्र विकसित किया है, जिसमें वे स्वतंत्रता एवं निजी समर्थन के साथ अपने लक्ष्यों को बेहतर रूप में निखार सकती हैं। कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में महिला उद्यमियों ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारी योगदान दिया है। जिनमें शिक्षा, फुटकर व्यापार, रेस्टोरेंट, होटल, सांस्कृतिक केन्द्र, धुलाई, बीमा, बैकिंग एवं निर्माण क्षेत्र प्रमुख है। वे नयी चुनौतियों तथा अवसरों को पसन्द करते हुए नव–प्रवर्त्तक तथा प्रतिस्पर्धी उद्यम में अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहती हैं। वे अपने घरेलू जिम्मेदारी तथा व्यावसायिक जीवन में सन्तुलन के द्वारा नियन्त्रण को बदलना चाहती हैं। उन्हें अवसर की जरूरत है ताकि वे अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। महिला उद्यमी को

परिभाषित करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि–"महिला उद्यमी वैसे उद्यमी को कहा जाता है जो किसी उपक्रम की स्वामी होते हुए उसका नियंत्रण करती है तथा उपक्रम की पूँजी में 51% का अंश धारण किए हुए हैं तथा उपक्रम में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 51% हो। इस प्रकार एक महिला उद्यमी व्यवसाय को आरम्भ करती है तथा उसका गठन एवं संचालन करती है।" महिला उद्यमी परिवार एवं समुदाय की आर्थिक सम्पन्नता, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से काफी सहयोग कर विकास के लक्ष्य में अपना योगदान दे सकती हैं इसलिए सभी सरकारें और साथ ही साथ विकास संगठन भी विभिन्न योजनाओ, प्रोत्साहनों और संवर्द्धन उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके संवर्द्धन के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

भारत में कार्यरत कुछ विभिन्न उद्यमी महिला संघ इस प्रकार हैं–

1. भारतीय महिला उद्यम परिसंघ
2. महिला उद्यमी सहायता संघ
3. स्व रोजगार महिला संघ
4. महिला उद्यमी संवर्द्धन संघ
5. द मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन ऑफ वुमेन इन्टरप्राइजेज
6. महाकौशल महिला उद्यम संघ
7. एस ए ए आर सी चैम्बर महिला उद्यमिता परिषद्
8. महिला सशक्तिकरण निगम
9. बिहार महिला उद्योग संघ
10. आंध्र प्रदेश महिला उद्यमी संघ
11. कर्नाटक महिला उद्यमी संघ
12. तमिलनाडु महिला उद्यमी संघ

भारत में उच्च तकनीकि, शिक्षा, प्रबंधन एवं वाणिज्य की डिग्री के साथ पहले की अपेक्षा अधिक महिलाएँ कारोबार के क्षेत्र में पैर फैला रही हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि समानता के तमाम दावों की तुलना में उनको इस क्षेत्र में पुरूषों के मुकाबले ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण भारत के राज्यों में महिला उद्यमियों की स्थिति कुछ अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में इन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाद अब भारत में भी उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। वे पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्णयन एवं नियन्त्रण रूपी उद्यमशील कार्यों को प्रभावी ढंग से निभा रही हैं।

उद्यमशील क्षेत्र में महिलाओं के सफल होने के लिए उनमें निम्नलिखित विशिष्ट गुण होने चाहिए–

दृढ़ नि�चयी

एक महिला अपने उद्यम में सफल होना चाहती हैं तो उसे दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। उनमें पुरूषों की अपेक्षा अधिक आत्म विश्वास के साथ तैयार होना चाहिए। जब एक महिला अपने उद्यम को आत्म विश्वास के साथ स्व–प्रतिष्ठा का विषय बना लेती है तो लोग उसे स्वोकार करने लगते हैं। महिलाओं को भी परिवर्तन स्वीकार कर अपनी प्रगति एवं योग्यता को प्रतिष्ठित करना चाहिए। सफलता के लिए उन्हें आत्म विश्वास एवं आत्मबल से युक्त होना हीं चाहिए।

कैरियर अभिमुखी

महिला उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए कैरियर अभिमुखी होना चाहिए। वे अपने कैरियर के प्रति गंभीर होकर पुरूष के समान जागरूक बनें। इसके द्वारा महिला अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से विकसित एवं नियंत्रित करके उद्यमिता कार्य को बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकती है।

व्यूह रचनात्मक

महिलायें पुरूषों की अपेक्षा अधिक धैर्य एवं संवेदनशील होती हैं। विवाह पूर्व पिता एवं विवाह के बाद पति का समर्थन मिल जाने पर वे अपने उद्यम में सफल हो सकती हैं। उन्हें किसी एक पद स्थिति पर अटकने की बजाय एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में जाने हेतु तत्पर रहना चाहिए। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का समर्थन एवं सहयोग से भी महिला उद्यमी सफल हो सकती हैं, अर्थात् एक महिला उद्यमी को सफल होने के लिए उपयुक्त व्यूह रचना करनी होगी।

�िक्षा एवं सामर्थ्य

एक महिला उद्यमी शिक्षा एवं सामर्थ्य गुण के द्वारा उद्यमशील कार्यो को पूरा करते हुए अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से निभा सकती है। हालाँकि समाज एवं परिवार में महिला की एक विशिष्ट भूमिका, स्थिति तथा संरचना होती है। उसे पुरूष को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह उसके जॉब के पीछे नहीं है तथा जॉब हम सबके लिए समान रूप से जरूरी है। महिला अपनी विशिष्ट संरचना का फायदा उठाते हुए अधिक कूटनीतिक तरीके से सफलता की ओर बढ़ सकती है।

आक्रामकता

महिला उद्यमियों को पुरूषों के साथ कठोर प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार रहना चाहिए। उसे किसी भी सीमा तक उत्तरदायित्व ग्रहण करने से डरना नहीं चाहिए। महिला के आक्रामक स्वभाव के कारण पुरूष उसके अधीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पुरूषों की सोच या प्रवृति में बदलाव होगा, तभी महिलायें उद्यमिता के क्षेत्र में प्रगति करेंगी। इसके लिए उन्हें वास्तविकता से मजबूती के साथ जुड़ना होगा। उन्हें अपनी श्रेष्ठता प्रस्तुत करनी ही होगी।

स्पष्टतः एक महिला दृढ़ निश्चयी एवं योग्यतारूपी विशिष्टता से युक्त हानी चाहिए। वे नयी शैली, निष्पक्षता, उत्साह, संवेदनशीलता, अर्न्तज्ञान इत्यादि गुणों के कारण अपने उद्यम में पूर्ण सफल होकर पुरूषों की भाँति विकास के उच्च शिखर तक पहुँच सकती हैं।

महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्याएँ

उद्यमिता में सफलता हेतु महिला उद्यमी में वे सारे गुण होने चाहिए जो पुरूष में आवश्यक होते हैं। परन्तु उनमें अशिक्षा, प्रशिक्षण का अभाव, जोखिम का डर, असुरक्षा इत्यादि ऐसी समस्याओं से इनका सामना होते रहता है। स्पष्टतः महिला उद्यमियों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं को इन बिन्दुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है–

वित्त की समस्याएँ

उद्योग चाहें बड़ा हो या छोटा उन्हें वित्त की जरूरत होती है। वित्त को उद्योगों का रक्त कहा गया है। बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति, कार्यशील पूँजी की व्यवस्था एवं ऋण सुविधाओं आदि का अभाव महिलाओं की वित्तीय समस्या हैं। कुछ समस्याएँ आधारभूत हैं जो कि उद्यमियों के नियंत्रण में नहीं है। इसके अलावा धन के बाहरी स्रोतों के लिए उनके उपयोग सीमित हैं।

विपणन की समस्याएँ

बाजार में चारों तरफ पुरूषों का बाहुल्य एवं प्रभुत्व के कारण महिला उद्यमों की प्रायः हमेशा से अपने उत्पाद के विपणन समस्याओं से पाला पड़ता है, जबकि उनके पास पर्याप्त अनुभव होता है। अतः उत्पादों के मार्केटिंग के लिए महिला उद्यमियों को बिचौलिये/एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें कमीशन के साथ–साथ लाभ का बड़ा हिस्सा भी देना पड़ता है। एजेंट को खत्म करना महिला उद्यमियों के लिए संभव नहीं है जबकि वे उनका शोषण करते हैं। इसलिए महिलाएँ बाजार पर कब्जा नहीं कर सकती और न अपने उत्पादों को लोकप्रिय बना सकती हैं।

कच्चे माल की अनुपलब्धता

महिला उद्यमियों को उद्यमों में से अधिकांश कच्चे माल और आवश्यक आदानों की कमी से गुजरना पड़ता है। जंगली कच्चे माल अनुपलब्धता के कारण ही 1971 में महिला सहकारिताओं की असफलता विशेषकर टोकरी निर्माण की असफलता का कारण बना।

कम जोखिम वहन की क्षमता

भारतीय महिलायें सुरक्षित जीवन यापन की आदि होती हैं। उनमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की कमी होती है। यह उन्हें कम जोखिम सहने की क्षमता वाला उद्यमी बना देता है। जबकि ज्यादा जोखिम उठाने वाला हीं सफल उद्यमी बनता है।

प्रतियोगिता

महिला उद्यमिता पर भारत सरकार खास रूप से अग्रसरित है। वहीं महिलाओं के लिए अधिसंख्य प्रतिभागियों द्वारा महिला उद्यमियों की व्यापारिक उपलब्धि पर फोकस किया जा रहा है। जिसके बाद भी महिलायें कहीं ना कहीं पुरूषों की तुलना में उद्यम स्थापित करने में मुश्किल और कठिन प्रतियोगिता का सामना कर रही है।

पितृसत्तात्मक समाज

महिला उद्यमियों की आर्थिक पराधीनता एवं आश्रित स्थिति समाज में पुरूष एवं स्त्रियों के बोच कार्यों का विभाजन करती हैं। अगर महिलाओं द्वारा जैसे ही किसी भी उद्यमशीलता की गतिविधि आरंभ की जाती है तो उन्हें उनकी भूमिका को लेकर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज आज भी महिलाओं की क्षमताओं को लेकर नवाचार के उनके प्रयासों को हतोत्साहित करता है।

विपणन यात्राएँ

महिला उद्यमियों को विपणन के सम्बन्ध में देर रात तक अथवा सुदूरवर्ती स्थानों में आना जाना कठिन है। पुरूषों की भाँति महिलाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्द्वन्द रूप से यात्राएँ नहीं कर सकतीं। जिसके कारण सही रूप में सम्प्रेषण नहीं हो पाता।

उत्पादन लागत उच्चतम होना

उद्यमों के विस्तार एवं विकास में वस्तुओं का उत्पादन लागत उच्च होना भी महिला उद्यमियों की एक समस्या है। हालाँकि इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करती है, परन्तु दीर्घकालिक रूप से इसके समाधान के लिए उत्पादकीय क्षमता का विस्तार आवश्यक है।

जोखिम क्षमता का कम होना

वास्तव में जोखिम चातुर्यु विकसित करने के लिए वैसी महिलाएँ प्रशिक्षण लेती हैं जिनमें जोखिमी रूचि का अभाव होता है। प्रशिक्षण पूर्व महिला उद्यमियों का रूचि जाँच अवश्य होना चाहिए।

वैधानिक आपचारिकताएँ

महिला उद्यमियों को अनेक वैधानिक औपचारिकताएँ जैसे– लाइसेन्स लेना, NOC लेना इत्यादि के अनुपालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

इसके अतिरिक्त पारिवारिक असहयोग, अविश्वास, अशिक्षा, प्रशिक्षण का अभाव इत्यादि अन्य समस्याओं सहित व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक बाधाएँ महिला उद्यमिता को प्रभावित करता है। इनके अभाव में वे अपने लक्ष्यों की पूर्त्ति करने में सफल नहीं हो पाती।

महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान

वर्त्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व समावेशी समृद्धि की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश की प्रगति एवं विकास का 50% निवेश महिला उद्यमी के लिए किया जाए। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से व्यापारिक क्षेत्र के लिए महिलाएँ कौशल विकास की दिशा में अग्रसर हों। महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है–

आत्मनिर्भरता

देश की आर्थिक नीतियाँ ऐसी हों जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में मात्र 14% महिला हैं। इनमें से 7.2% महिलाएँ अपने संसाधन स्वयं जुटाती हैं। केवल 4.4% महिलाएँ अपना कारोबार सरकारी बैंको एवं वित्तीय सहायता संस्थानों की सहायता से की है।

वित्त एवं तकनीकि की व्यवस्था

महिला उद्यमी प्रायः कुछ क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती है। जिसमें फूड टेक्नॉलोजी एवं फैशन शामिल है। इन क्षेत्रों में भी स्टार्ट अप शुरू करने वाली महिलाओं की संख्या कम है। ऑनलाइन फैशन सेक्टर में मात्र 30% महिलाएँ शामिल हैं। देश के कई प्रमुख बैंकों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। इसके बाद भी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर वित्तीय संस्थान कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। उन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर नये टेक्नॉलोजी युक्त किया जाय। ताकि वे हर व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकें।

सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

सरकारी योजना पात्रता मानदंड के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के बावजूद फंडिंग योजनाएँ एवं वित्तीय सहयोग एक बड़ी दिक्कत है जो महिला उद्यमियों को अपना स्टार्ट अप शुरू करने से रोकती है। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया की शुरूआत अप्रैल 2016 में की। इसका मुख्य उद्देश्य SC/ST एवं अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। जो महिलाएँ इस योजना से जुड़ती हैं, उन्हें अपने उद्यम के लिए अन्य सहयोगी सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। उन्हें सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के दायरे में लाने के साथ–साथ राष्ट्रीयकृत बैंक भी खासतौर पर ऋण देने की योजना के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनमें अन्नपूर्णा योजना, देवा शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, स्त्री शक्ति योजना, महिला उद्यम निगम योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के साथ महिला उद्यमी जुड़कर अपने उद्यम में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

भारतीय महिला बैंक द्वारा समाधान

भारतीय महिला उद्यमियों को नॉन–बैंकिंग फाइनेंसर्स साहूकारों से दूर रखने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करने एवं औपचारिक बैंकिग संस्थानों से जोड़ने के लिए भारतीय महिला बैंक लिमिटेड स्थापित की गई। आवश्यकता यह है कि ये महिलायें वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इनसे जुड़ सकें। विश्व का तीसरा बैंक है जो महिलाओं को केन्द्र में रखकर बनाया गया है। महिला उद्यमियों के लिए वहाँ से वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करना आसान है।

कौशल विकसित करना

कौशल विकास योजना के तहत महिला उद्यमियों के कौशल विकास में वृद्धि और नरम कौशल के लिए क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध कौशल प्रदान की जाय। महिला उद्यमी प्रबन्धन के नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन एवं नियंत्रण को भली–भाँति समझ कर अपने उद्यम को सफलता की ओर बढायें। वर्त्तमान समय में सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण भी संचालित कर रही है।

नेटवर्क को मजबूत बनाना

महिला उद्यमियों के परामर्शक बढाया जाय। बाजार महिला उद्यमी संघों की तरह नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए,समर्थन करने के लिए बाजार से जोड़ा जाय। साथ ही महिलायें ज्ञान संसाधनों और दस्तावेजों को साझा करें। इससे उनके विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

पारिवारिक समर्थन

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा है कि "स्त्रियों को केवल संतान उत्पन्न करने, पति की देखभाल करने एवं गृहस्थ कार्य को सम्पादित करने का माध्यम माना गया है।" इस प्रकार से सामाजिक न्याय और मानव अधिकार का यह तकाजा है कि महिलाओं को उनके आर्थिक समस्या से मुक्त किया जाय एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहभागी एवं स्वावलम्बी बनाया जाय। स्पष्टतः महिला उद्यमियों को बच्चे की देखभाल और परिवार के समर्थन की तरह महिलाओं की समर्थन प्रणाली में बढ़ोत्तरी कर महिला उद्यमिता को बढ़ाया जा सकता है।

सुरक्षित माहौल बनाना

सामाजिक माहौल भय मुक्त हो ताकि महिलायें स्व उद्यम में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। निडर होकर वे कहीं भी अपनी व्यावसायिक यात्रा करें। जिससे उनका उद्योग निरंतर प्रगति कर सके। इस प्रकार महिला उद्यमियों के लिए समस्याओं का निराकरण सरकार, जनता एवं पारिवारिक सहयोग द्वारा किया जा सकता है। इससे उनके स्वाभिमान, गौरव एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में– "जब महिला आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव तथा फिर राष्ट्र अग्रसर होता है।" ध्यातव्य है कि भारत की अनेक महिलायें अपने उद्यमों के द्वारा देश–विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं।

साहित्यिावलोकन

प्रबन्ध के दार्शनिक विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, "एक आवश्यक, विशिष्ट एवं प्रमुख संस्था के रूप में उद्यमिता का प्रादुर्भाव समाज के इतिहास में एक केन्द्रीय घटना है। इस शताब्दी के संक्रांति काल से ही कोई एक नयी संस्था, एक नया प्रभुत्व समूह इतनी तेजी से उभरा है जितना कि उद्यमिता।"

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की पूर्व अध्यक्ष डॉ0 ज्योत्सना सूरी ने अपने लेख–स्त्री शक्ति : महिला उद्यमिता की शक्ति का पहचान में लिखा है," 21वीं शताब्दी में, महिलाओं ने न सिर्फ धन अर्जन करने में अपनी भूमिका दर्ज करायी है बल्कि भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्त्ताओं का स्वरूप भी परिवर्त्तित किया है। हाल के वर्षो में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है।"

अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सिंह सरना ने कहा है कि, " भारत में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका है। आज यदि आप उनकी भूमिका का आधुनिकीकरण करते हैं और उन्हें उद्यमिता की ओर अग्रसर करते हैं तो आप देखेंगे कि वे पुरूषों से बेहतर कार्य करती हैं।"

फरवरी 2018 में अमेरिका के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीति आयोग की एक शीर्ष सदस्य अन्ना रॉय ने कहा– "भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में महिला उद्यमी काफी तेजी से आगे जा रही हैं। उन्हें जिन चीजों की जरूरत है वे हैं जागरूकता लाना, साझेदार सम्पर्क स्थापित करना तथा इन प्रयासों का सुदृढ़ कर उनका फायदा उठाना।"

भारतीय महिला उद्यमियों में रीता शर्मा, शहनाज हुसैन, रोहिणी मिगलानी, अदिति गुप्ता, अदिति अवस्थी, अजंता शाह, अनुश्री धरन, अर्पिता गणेश, अश्विनी अशोकन, चित्रा गुरनानी डागा, हरप्रीत कौर, देवदत्ता उपाध्याय, जया झा, कविता अय्यर, कनिका टेकरीवाल, नीरू शर्मा, नीतू भाटिया, पल्लवी गुप्ता, चंदा कोचर, नेहा बहानी, पंखुरी श्रीवास्तव, प्रिया माहेश्वरी, राशि नारंग,

साक्षी तुलस्यान, सौम्यावर्द्धन, सुरभी देवड़ा आदि अनेकों नाम हैं जिन्होंने उद्योग जगत में देश–विदेश में सफलता प्राप्त किया है। स्वयं भी उद्यम किया है एवं औरों को भी उससे लाभ कराया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने सफल महिला उद्यमियों की सूची जारी की है, जिससे पता चलता है कि महिलायें अब आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चयी, आक्रामक एवं कैरियरमुखी होकर सफल हो रही हैं।

महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2018) के अवसर पर महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform-WEP) शुरू किया। इस मंच का लक्ष्य है कि पूरे देश में महिलाओं के लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निमाण हो। उनकी व्यावसायिक आकांक्षाओं का आकलन कर दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाय। ताकि महिला उद्यमियों द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्र की योजनाओं में सूचनाओं को सुव्यवस्थित करें। WEP ने महिला उद्यमियों के विकास के अवसर खोलकर गतिशील नए भारत के उदय की आकांक्षाओं को संजोया है। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से महिला उद्यमियों को ज्ञान एवं पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्राप्त होगा।

निश्कर्श

निष्कर्षतः महिला उद्यमियों के सम्बन्ध में यह कहना यथोचित होगा कि विदेशों के बाद भारत में भी उद्यमिता के बढ़ते क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। वे भी प्रबन्ध के विभिन्न उद्यमशील कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादन कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हों। समाज की प्रथम इकाई परिवार का आधार स्तम्भ महिलायें है। एक महिला सशक्त होती हैं तो वो दो परिवारों के साथ–साथ अन्य को सशक्त बनाती हैं। निश्चित तौर पर महिला उद्यमी के सफल होने पर महिला सशक्तिकरण को भी बढावा मिलता है। परन्तु यह भी सत्य है कि महिलाओं को माँ, पत्नी, बेटी तथा एक महिला उद्यमी के रूप में विशिष्ट भूमिका निभाने में अभी लम्बा सफर तय करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *उद्यमिता– एसबीपीडी, आगरा*
2. *Entrepreneurship- VK Publications, Delhi*
3. *https://m-punjabkesari-in.cdn.ampproject.org (Feb 21,2018)*
4. *https://www.jansatta-com.cdn.ampproject.org (April 19,2017)*
5. *www.niti.gov.in*
6. *https://smallb.sidbi.in/node/2712*